

323



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं.

/2015 पुनरीक्षण

निं. 12683/II/15

श्री मुकेश शर्मा, कां.प्र.
द्वारा आज दि. 19/8/15 को
प्रस्तुत

कलक आदि 19/8/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती कुसुम बेवा दामोहर चौरसिया
2. महेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. दामोदर चौरसिया
3. सुरेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. दामोदर चौरसिया
4. नरेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. दामोदर चौरसिया
5. राजेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. दामोदर चौरसिया
6. मुन्नालाल चौरसिया पुत्र स्व. दामोदर चौरसिया

सभी निवासीगण अर्धार्ध टोरिया के पास म. नं. 177 तिली वार्ड सागर तहसील व जिला सागर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया पुत्री स्व. बबू उर्फ बाबूलाल पत्नी प्रेमनारायण चौरसिया निवासी टेकापार हनुमान मंदिर गैरतगंज तह. गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.)
2. श्रीमती रेणुका पुत्री व. बबू उर्फ बाबूलाल पत्नी नंदराम चौरसिया निवासी पडरिया जिला दमोह
3. श्रीमती कुसुम चौरसिया पुत्री स्व. बबू उर्फ बाबूलाल पत्नी भैयाराम चौरसिया निवासी फूलबादेवी मंदिर के पास पुख्याऊटौरी,

मुकेश शर्मा
19-8-15 45 वॉकेट
ग्वालियर

यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2683-दो/2015

जिला - सागर

कुसुमा आदि

विरुद्ध

लक्ष्मी चौरसिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के प्रकरण कमांक 175/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-7-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) 28/2/2019 सदस्य</p>